संख्याः 12 /2020/777 /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2020**

विषयः-प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल इनर्जी पावर पार्क की स्थापना के लिए यूपीनेडा एवं टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (टी.एच.डी.सी.आई.एल.) के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले मेमोरेंडम आफ अण्डरस्टेंडिंग (एम0ओ0यू0),मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन (एम0ओ0ए0) तथा आर्टिकल आफ एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-3833/नेडा-एसई-एमएनआरईसो0पार्क/टीएचडीसी/146/19 दि0 01/11/2019 एवं पत्र संख्या-8151/नेडा-एसई-एमएनआरईसो0पार्क/ टीएचडीसी/146/19 दिनांक 13/03/2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर-8-क्रियान्वयन प्रणाली के उप प्रस्तर 8.1.1 श्रेणी-1 सोलर पार्क अ-1 केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्पेशल परपज वेहिकल द्वारा स्थापित एवं प्रबिंन्धत किये जाने संबंधी प्रावधान को क्रियान्वित करते हुए एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के विकास हेतु नामित सीपीएसयू-टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा संयुक्त उपक्रम के गठन की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(i) उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) एवं टीएचडीसीआईएल द्वारा एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी अधिनियम-2013 के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा।

(ii) इस संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य राज्य में चिन्हित स्थल पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव होगा।

(iii) प्रस्तावित उपक्रम की स्थापना हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति -2017 के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल एजेन्सी है एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य एक मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैण्डिंग (आपसी समझौता ज्ञापन,एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(iv) संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल की 26: 74 के अनुपात में इक्वीटी होगी। यह इक्वीटी यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल की आपसी सहमति से घट-बढ़ सकती है परन्तु किसी भी दशा में टीएचडीसीआईएल की इक्वीटी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(v) भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्कीम के अन्तर्गत इस संयुक्त उपक्रम को भविष्य में राज्य में कुल 2000 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा पावर पार्क विकसित/स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त है। वर्तमान में इसमें से 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना हेतु तत्काल कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(vi) अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क सरकारी /राजस्व भूमि अथवा क्रय/लीज पर प्राप्त निजी भूमि पर स्थापित किये जायेंगें। उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध होने की दशा में, उक्त का पुनर्ग्रहण अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में कर लीज/राईट आफ यूज आधार पर उक्त भूमि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के प्रयोजनार्थ संयुक्त उपक्रम को नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी। प्रतिमेगावाट 2 हेक्टेयर के अनुसार 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क की स्थापना हेतु कुल 1200 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

(vii) संयुक्त उपक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यूपीनेडा द्वारा सोलर पार्क की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि के चिन्हांकन तथा भूमि से संबंधित तथा राज्य सरकार के अधीन आवश्यक औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(viii) संयुक्त उपक्रम द्वारा सोलर पार्क के भीतर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा भूमि के समतलीकरण, सुरक्षा फेंसिंग निर्माण, पार्क के भीतर विद्युत निकासी अवस्थापना (पूलिंग स्टेशन), जल सुविधा, सड़क इत्यादि विकसित किये जायेंगें।

(ix) संयुक्त उपक्रम द्वारा सोलर पार्क के भीतर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। तद्नुसार आंकलित वित्तीय आवश्यकता का वहन आंशिक रूप से इक्विटी, शेष भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्कीम के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अथवा प्रतिमेगावाट 20.00 लाख रूपये में, जो भी कम हो, की सहायता पार्क की आंतरिक अवस्थापना के विकास तथा पार्क से निकटस्थ पारेषण तंत्र तक कनेक्टीविटी हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार अधिकतम 20 लाख प्रति मेगावाट में से 12 लाख रूपये प्रति मेगावाट सोलर पावर पार्क डेवलपर के रूप में संयुक्त उपक्रम को पार्क के भीतर की अवस्थापनाओं के विकास हेतु तथा शेष 8.00 लाख रूपये प्रतिमेगावाट यथास्थिति केन्द्रीय अथवा राज्य पारेषण यूटिलिटी को बाह्य पारेषण तंत्र/कनेक्टिविटी हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(x) सोलर पावर पार्क की आंतरिक अवस्थापना के विकास के उपरांत उक्त विकसित पार्क में वृहद आकार की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विकासकर्ताओं से विद्युत टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्र्धात्मक बिड आमंत्रित की जायेगी। ई-रिवर्स आक्शन में प्राप्त न्यूनतम विद्युत टैरिफ बोली के आधार पर सोलर पावर पार्क में उपलब्ध क्षमता का आबंटन विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विकासकर्ताओं के मध्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xi) पूर्व विकसित सोलर पावर पार्क में प्रतिस्पद्र्धात्मक विद्युत टैरिफ आधारित बिड में चयनित होने वाले निजी तथा सार्वजनिक विकासकर्ताओं द्वारा भूमि उपार्जन से संबंधित औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं में लगने वाले समय तथा पारेषण तंत्र से जुड़ने हेतु किये जाने वाले व्यय इत्यादि की चिंता से मुक्त होकर सीधे पार्क में आवंटित स्थल पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किये जा सकेंगे जिसमें प्लग एण्ड प्ले की कल्पना साकार होगी। इस सुविधा के लिये सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं को पार्क में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने से पूर्व एक मुश्त (अपफ्रन्ट) शुल्क का भुगतान सोलर पार्क विकासकर्ता को करना होगा। इस शुल्क से पार्क विकास में हुए व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति सम्भव हो सकेगी। तदोपरांत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कमिशनिंग के उपरांत भी विकासकर्ताओं को पार्क की कॉमन सुविधाओं के रखरखाव हेतु नियमित यूजर चार्जेज देने होंगे।

(xii) संयुक्त उपक्रम में भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घ अनुभव तथा विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्रीय पीएसयू के रूप में टी0एच0डी0सी0 की, पार्क विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की रचना, वित्त पोषण हेतु यथाआवश्यकता वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने तथा विद्युत टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्र्धात्मक बिड सम्पादित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

(xiii) संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क में स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा का प्रतिस्पद्र्धात्मक मूल्य पर क्रय यूपीपीसीएल द्वारा अपनी रिन्यूएबल परचेज आबलिगेशन (आर.पी.ओ.) की पूर्ति हेतु भी विकल्प के रूप में किया जा सकेगा।

(xiv) संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल इनर्जी पावर पार्क में स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं में उत्पादित सौर ऊर्जा के विक्रय हेतु निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंधों में यह प्राविधान किया जायेगा कि विद्युत की प्रति यूनिट सात पैसे, सौर पार्क विकास में इक्विटी निवेश पर लाभांश के रूप में संयुक्त उपक्रम को प्राप्त होगा जिसमें से यूपीनेडा को प्रस्तावित इक्विटी अंशधारिता 26 प्रतिशत के अनुसार लाभांश प्राप्त होगा। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त प्रति यूनिट दो पैसे राज्य सरकार को भूमि चयन में सहयोग तथा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न अनापत्तियों तथा अनुमतियों को दिलाने हेतु सुविधादाता शुल्क के रूप में प्राप्त होगी। यह व्यवस्था संपूर्ण विद्युत क्रय अनुबंध अवधि, जो औसतन 25 वर्ष तक होती है, तक लागू रहेगी।

(xv) संयुक्त उपक्रम का प्रबन्धन निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा। निदेशक मण्डल में न्यूनतम 3 तथा अधिकतम 8 पूर्ण कालिक/अंशकालिक निदेशक होंगे। उपरोक्त तीन में से टी.एच.डी.सी.आई.एल. को 02 तथा यूपीनेडा को 01 निदेशक नामित करने का अधिकार होगा।

(अ) टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष ही संयुक्त उपक्रम के अध्यक्ष होंगे।

(ब) संयुक्त उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक का चयन टीएचडीसीआईएल के निदेशक मण्डल द्वारा संयुक्त उपक्रम में नामित टीएचडीसीआईएल के निदेशकों में से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xvi) यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग (एमओयू) के क्रियान्वयन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, निदेशक, यूपीनेडा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टीएचडीसीआईएल एवं निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसीआईएल सदस्य होंगे।

(xvii) संयुक्त उपक्रम का अधिकृत शेयर कैपिटल 50 करोड़ रूपये होगा तथा प्रारम्भ में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रूपये होगा जोकि यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी इक्वीटी के अनुपात (26:74) में दिया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रस्तर में अंकित शर्तो के अधीन यूपीनेडा व टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के मध्य मेमोरेंडम आफ अण्डरस्टेंडिंग (एम0ओ0यू0), मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन (एम0ओ0ए0) तथा आर्टिकल आफ एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) का निष्पादन कराये जाने हेतु प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-1,2 तथा 3)।

3- यूपीनेडा का अंशदान इक्वीटी के रूप में रू0 13.00 करोड़ होगा जो यूपीनेडा द्वारा विगत वर्षो में किये गये कार्यो के सापेक्ष प्राप्त तीन प्रतिशत सेवा चार्जेज से सृजित अनुशांगिक निधि से किया जायेगा।

4- सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्र्तगत प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर उपलब्ध विद्युत कर शुल्क पर दस वर्षो तक शत प्रतिशत छूट, भूमि उपार्जन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट, पावर बैंकिंग की सुविधा तथा वीलिंग/ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट संबंधी प्रोत्साहन संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क तथा उसके भीतर स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त होंगे।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

............क्रमशः पृष्ठ-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4-अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5-अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग, लखनऊ।
6-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
7-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 ।
9-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
10-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11-प्रबन्ध निदेशक, समस्त डिस्काम।
12-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा यूपीनेडा)।
13-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
14-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
15-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
16-निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी,ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
17-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भवानी सिंह खंगारौत)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।